मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र. सी. 6-01/2005/एक-3 भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2005.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—अनुशासनिक मामलों में शासकीय सेवकों का अनावश्यक निलम्बन नहीं करना तथा लघुशास्ति अधिरोपित होने की स्थिति में निलम्बन अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य किया जाना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में शासकीय सेवकों के निलम्बन के विषय में प्रावधान है तथा वे स्थितियां वर्णित हैं जिनमें शासकीय सेवकों को निलम्बित किया जा सकेगा.

2. सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-एक, क्रमांक 13 में उल्लिखित है कि किसी ऐसे शासकीय सेवक को जिसके विरुद्ध विभागीय जांच की जाना हो, सामान्यत: निलम्बित नहीं किया जाना चाहिए. जब आरोप गंभीर स्वरूप के हों या जब प्रशासनिक दृष्टि से या अन्य सुनिश्चित कारणों से ऐसा करना आवश्यक/अपरिहार्य हो, तभी उसे निलम्बित किया जाना चाहिए. यदि जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो उसे निलम्बन के बदले अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 12-38-91-3-1, दिनांक 7-6-91 में निर्देश दिए गए हैं कि जहां नियम 9(1) (क) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान निलम्बित किया जाता है, तो निलम्बन आदेश में स्पष्ट एवं सुनिश्चित कारण दर्शाए जाना चाहिए. अनावश्यक रूप से शासकीय सेवक को निलम्बित किए जाने की परम्परा को निरुत्साहित किए जाने के उद्देश्य से मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-6-4/97/3/एक, दिनांक 19-3-1997 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि छोटी-मोटी त्रुटियों के लिये निलम्बन की कार्रवाई नहीं की जाए.

4. शासन के ध्यान में बार-बार यह तथ्य लाया गया है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राय: बिना समुचित आधार के शासकीय सेवकों को निलम्बित किए जाने की कार्रवाई की जाती है. जांच में संबंधित शासकीय सेवक या तो निर्दोष पाया जाता है अथवा उसे साधारण चेतावनी या कोई लघुशास्ति अधिरोपित की जाती है. इस प्रकार की कार्रवाई से शासकीय सेवक तो प्रताड़ित होता ही है, बिना कार्य किए निलम्बन अवधि के लिये पूर्ण वेतन-भत्ते दोषमुक्त शासकीय सेवक को देना पड़ते हैं.

5. विचारोपरांत शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध जांच में आरोपों के स्वरूप को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि संबंधित शासकीय सेवक पर पदच्युति, सेवा से हटाया जाना अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी कोई मुख्यशास्ति अधिरोपित की जा सकती है, तभी उसे निलंबित किया जाय. अर्थात् लघुशास्ति के मामलों में उसे निलंबित नहीं किया जाना चाहिए.

6. मुख्य शास्ति हेतु संस्थित विभागीय जांच में यदि किसी निलंबित शासकीय सेवक पर जांच उपरांत लघु शास्ति ही अधिरोपित की जाती है तो उसका निलम्बन औचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता. अत: राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में संबंधित शासकीय सेवक की निलम्बन अवधि को मूलभूत नियम 54-बी के परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य अवधि मान्य निलम्बन अवधि के सम्पूर्ण वेतन-भत्ते (शासकीय सेवक को निलम्बन अवधि में भुगतान किए गए "जीवन निर्वाह भत्ते" की राशि का समायोजन कर) दिए जाएं. यह निर्णय इस ज्ञापन के प्रसारित होने की तिथि से लागू होगा तथा जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है वे पुन: नहीं खोले जाएंगे.

7. उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एन. एस. भटनागर)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.